गया तथा उपरोक्त वर्णित आराजियात में स्वतः ही भागीदार हो गया। प्रार्थी के दत्तक पिता मृतक गुल्या तथा प्राकृतिक पिता कमोद के मध्य छोटी–मोटी पारिवारिक बातों को लेकर तनाव होता रहता था। प्रार्थी का दत्तक पिता बहुत ही क्रोधी एवं भावुक व्यक्ति रहा था जो सहज ही लोगों के बहकावे में आ जाता था। प्रार्थी के दत्तक पिता एवं प्राकृतिक पिता के मध्य उत्पन्न मामूली विवादों को लेकर उत्पन्न तनाव के अधीन लोगों के बहकाने से अप्रार्थी सं0 4 के मृतक पति एवं 5 के पिता स्व0 हरिचरण पुत्र गिर्राज को विधि विरूद्ध तरीके से गोद लेने का कथन करते हुए एक अवैधानिक गोदपत्र उप पंजीयक गंगापुर सिटी के यहां पंजीकृत करवा दिया। गोदपत्र बहक हरिचरण शुरू से ही शुन्य रहा था क्योंकि प्रार्थी का दत्तक पिता पूर्व में ही प्रार्थी को दत्तक पुत्र के रूप में गोद ले चुका था। उक्त गोदपत्र दि0 6.8.94 के आधार पर जब मृतक हरिचरण ने प्रार्थी के अधिकारो में मजाहमत पैदा की तो प्रार्थी ने एक दावा बाबत् घोषणां गोद पुत्र व निरस्त किए जाने गोदपत्र माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायालय गंगापुर सिटी में उनवानी धारासिंह बनाम गुल्या वगैरा नम्बरी 15/94 दर्ज करवाया। इस मुकदमे के विचाराधीन रहने के दौरान ही जातिगत पंचायत और अन्य रिश्तेदारों के दबाव में आकर प्रार्थी ने उपरोक्त वर्णित मुकदमे में राजीनामा प्रस्तुत कर दिया। उपरोक्त वर्णित प्रकरण के विचारण के दौरान ही प्रार्थी के दत्तक पिता गुल्या की मृत्यु हो गई। योम दत्तक ग्रहण प्रार्थी ही अपने दत्तक पिता स्व0 गुल्या की उपरोक्त वर्णित आराजियात पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त चलाता रहा परन्तु प्रार्थी के गोदपुत्र के विवाद के फलस्वरूप संचलित प्रकरण के दौरान प्रार्थी द्वारा दावा करने के कारण तथा दावे में राजीनामा हो जाने के कारण राजीनामा अनुसार प्रार्थी ने विवादित भूमि में से अपना केवल 1/4 हिस्सा ही अपने पास रखा शेष 3/4 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 2, 3 एवं 4 के पति एवं 5 के मृतक पिता हरिचरण के हक में देते हुए लिख दिया। मुताबिक राजीनामा, सामाजिक रीति रिवाज व लोकहित के अधीन रहते हुए प्रार्थी ने यह भी स्वीकार किया कि उपरोक्त वर्णित विवादित आराजियात में से प्रार्थी के पास 1/4 हिस्से, जो कि प्रार्थी की दत्तक माता अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज हो गया था, का इन्द्राज बदस्तूर अप्रार्थी संख्या 1 के हक में ही रहेगा तथा मुथरी के जीवनकाल तक मुथरी ही उक्त 1/4 हिस्से की स्वामिनी बनी रहेगी , मुथरी की मृत्यु के बाद कथित 1/4 हिस्सा प्रार्थी के हक में राजस्व रिकार्ड में अंकित हो जावेगा। चूंकि कथित 1/4 हिस्सा तथा अन्य 3/4 हिस्से पर भी प्रार्थी ही वरवक्त राजीनामा काबिज काश्त रहा था इसलिए

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (राज.)

एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर 1/2007 — तारीख रजू 6.1.2007 — तारीख निर्णय 8-3-2018

धारासिंह दत्तक पुत्र भुल्या प्राकृतिक पिता कमोद जाति गुर्जर निवासी मोतीपुरा तहसील गंगापुर सिटी ---प्रार्थी

बनाम

1. मुथरी बेवा गुट्या, गुर्जर निवासी मोतीपुरा तहसील गंगापुर सिटी
2. दानकौर पुत्री गुट्या पत्नि रामकिशन जाति गुर्जर निवासी सीतोड की बडी झौंपडी तहसील बामनवास (आदेश दिनांक 27.2.07 से नाम हजफ)
3. नोटा पुत्री गुट्या पत्नि रामकरण जाति गुर्जर निवासी गुर्जर बडौदा तहसील बामनवास (आदेश दिनांक 27.2.07 से नाम हजफ)
4. रेशम बेवा हरीचरण, गुर्जर निवासी मोतीपुरा तहसील गंगापुर सिटी
5. पवन पुत्र हरिचरण नाबालिग जरिए प्राकृतिक संरक्षिका माता रेशम बेवा हरिचरण जाति गुर्जर निवासी मोतीपुरा तहसील गंगापुर सिटी
6. लालहंस पुत्र मोतीलाल, गुर्जर निवासी मोतीपुरा तहसील गंगापुर सिटी
7. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी
8. श्रीमती भगवंती पत्नि लालहंस, गुर्जर निवासी मोतीपुरा तह0 गंगापुर सिटी ---अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :- श्री आलोक गोयल , एडवोकेट, प्रार्थी की ओर से
श्री बीरबल गुर्जर, एडवोकेट, अप्रार्थी नं0 3, 6, 8 की ओर से

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया है कि ख0नं0 60 रकबा 1.54 है0, ख0नं0 132 रकबा 2.23 है0, ख0नं0 147 रकबा 29 एयर, ख0नं0 209 रकबा 1.01 है0, ख0नं0 314 रकबा 1.29 है0 कुल रकबा 6.36 है0 ग्राम मोतीपुरा का इन्द्राज वर्तमान में अप्रार्थी सं0 1, 2, 4, 5, 6 के नाम अंकित है। यह भूमि पूर्व में प्रार्थी के दत्तक पिता एवं अप्रार्थी सं0 1 के स्व0 पति तथा अप्रार्थी सं0 2, 3 के प्राकृतिक पिता स्व0 गुल्या पुत्र मौंद्या गुर्जर निवासी मोतीपुरा की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी रही थी। मृतक गुल्या प्रार्थी के प्राकृतिक पिता कमोद गुर्जर का भाई था। मृतक गुल्या के कोई जाइन्दा पुत्र नहीं था इसलिए उसने जातीय मजमे आम में पूर्ण रीति रिवाज अनुसार वैधानिक रूप से प्रार्थी को प्रार्थी के प्राकृतिक माता-पिता से गोद ले लिया एवं बयौम गोद से ही प्रार्थी गुल्या का पुत्र हो

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

उसने विवादित आराजियात में से 3/4 हिस्से का कब्जा अप्रार्थी संख्या 2, 3 व 4 के पति एवं 5 के मृतक पिता हरीचरण के हक में मुताबिक राजीनामा छोड़ दिया परन्तु शेष 1/4 हिस्सा जो मुथरी अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी में रहा उस पर प्रार्थी निर्विवाद रूप से आज तक काबिज चला आ रहा है। मुताबिक राजीनामा दिनांक 22.9.2000 विवादित आराजियात में से ख0नं0 132 रकबा 2.23 है0 में से 1/4 हिस्सा सम्पूर्ण आराजियात के अनुपातिक आधार 1.59 है0 भूमि अप्रार्थी संख्या 1 मुथरी के आधार पर प्रार्थी को मिलना विधि द्वारा नियत है। अप्रार्थी संख्या 1 मुथरी उम्रदराज, वृद्ध, निरक्षर, ग्रामीण एवं शिथिल इन्द्रिय महिला है। अप्रार्थी संख्या 1 को अप्रार्थी संख्या 6 अप्रार्थी संख्या 2, 3 व 4 के सहयोग से बलात् प्रार्थी के घर से सोचे समझे षडयंत्र के तहत उसकी इच्छा के विरूद्ध अपने घर ले गया तथा उस पर विभिन्न प्रकार के अनुचित दबाब डालकर विधि विरूद्ध तरीके से विवादित आराजियात में से ख0नं0 132 रकबा 2.23 है0 में से 1.59 है0 उक्त मुथरी के 1/4 हिस्से की खातेदारी की आराजी को जरिए विधि विरूद्ध रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.1.2006 को अपने नाम अंतरण करवा लिया जबकि उनवानी दावा धारासिंह बनाम गुल्या वगैरा में प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 22.9.2000 की जानकारी अप्रार्थी संख्या 6 व अप्रार्थी संख्या 3 ता 4 को पूर्ण रूप से होते हुए भी उक्त साजिशी विक्रय पत्र दिनांक 16.1.2006 अप्रार्थी संख्या 6 ने स्वयं के हक में बिना प्रतिफल दिए विधि विरूद्ध तरीके से करवाया है जो प्रारम्भ से ही प्रभावशुन्य है। मुताबिक राजीनामा अप्रार्थी सं0 1 मुथरी विवादित आराजियात में से 1/4 हिस्से की अपने जीवनकाल तक सहज एक खातेदारी अधिकार धारित महिला ही है तथा मुताबिक राजीनामा उसे अपने हिस्से की आराजियात को किसी भी व्यक्ति के हक में किसी भी रूप में अंतरित करने का वैधानिक अधिकार शेष नहीं रहा। मुथरी की वर्णित 1/4 हिस्से पर योम गोद लेने प्रार्थी को प्रार्थी का कब्जा काश्त निर्विवाद रूप से चला आ रहा है। तथाकथित विक्रय पत्र दिनांक 16.11.2006 बहक अप्रार्थी संख्या 6 प्रारंभ से ही शुन्य है। साजिशपूर्ण विक्रयपत्र दि0 16.11.06 राजीनामा दिनांक 22.9.2000 की रोशनी में एवं प्रार्थी के मुखालफाना कब्जे के आधार पर प्रारम्भ से ही शुन्य रहा है जिसके आधार पर अप्रार्थी सं06 को किसी प्रकार का कोई अधिकार हासिल नहीं हो सकता। दिनांक 18.12.2006 को अप्रार्थी संख्या 6 अपने साथ कुछ असामाजिक तत्वों के साथ प्रार्थी की भूमि पर आया एवं कहा तुम इस भूमि से अपना कब्जा हटा लो क्योंकि भूमि हमने मुथरी से खरीद ली है और इस पर अब हम फसल करेंगे। प्रार्थी ने

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (राज०)

उसने कहा कि मुथरी द्वारा भूमि किसी भी व्यक्ति को किसी भी रूप में अंतरित नहीं की जा सकती क्योंकि मुथरी तो इस भूमि पर अपनासीमित अधिकार रखती है, मुथरी ने यह भूमि पहले ही मेरे हक में अन्तरित कर दी है जिसका राजीनामा ए0डी0जे0 कोर्ट गंगापुर में दिनांक 22.9.2000 को हो चुका है, मुथरी को यह जमीन अन्तरित करने का कोई अधिकार नहीं है। वैसे भी इस जमीन पर मेरा 25 वर्ष पुराना कब्जा है, मुथरी पर अनुचित दबाब डाल कर तुमने भूमि बिना प्रतिफल चुकाए खरीद की है जो विधि विरूद्ध है। अप्रार्थी संख्या 6 ने कहा हम किसी न्यायालय के राजीनामे को नहीं मानते, हम तो केवल लट्ठ की ताकत मानते हैं, तुम्हें भूमि से बेदखल करके रहेंगे। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर आराजी ख0नं0 132 रकबा 2.00 है0 में से रकबा 1.59 है0 जो विक्रय पत्र दिनांक 16.11.2006 से पूर्व अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की आराजी रही है, पर प्रार्थी के कब्जे काश्त में न तो स्वयं मजाहमत करें और न ही किसी अन्य से करावें तथा किसी व्यक्ति को उक्त वर्णित आराजियात को आगे रहन वय नहीं करें, रिकार्ड व मौके की स्थिति को ताफैसला दावा यथावत बनाए रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के जबाब में अप्रार्थी संख्या 1 ने अंकित किया है कि अप्रार्थी संख्या 1 अपने हिस्से की भूमि अप्रार्थी सं0 6 लालहंस की पत्नि भगवंती को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय कर चुकी है, उसके नाम राजस्व अभिलेख में अंकन हो चुका है तथा भूमि पर भगवंती का ही कब्जा है। प्रार्थी धारासिंह कमोद का पुत्र है, मृतक गुल्या ने प्रार्थी को कभी गोद नहीं लिया। इस प्रकार प्रार्थी का विवादित भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है। गुल्या व कमोद खास भाई थे। मृतक गुल्या के स्वयं का कोई पुत्र नहीं था इसलिए उसने अपनी मृत्यु से पूर्व सन् 1994 में हरिचरण को गोद लिया था। हरिचरण ही मृतक गुल्या की सेवा चाकरी करता था। विवादित आराजी को प्रार्थी ने कभी काश्त नहीं किया। न्यायालय अपर जिला जजी गंगापुर सिटी में हुए राजीनामे में यह लिखा गया था कि मुथरी देवी की मृत्यु के उपरांत मुथरी देवी के हिस्से की 1/4 भूमि की खातेदारी प्रार्थी धारासिंह पुत्र कमोद के नाम हो जावेगी। यह शर्त विधि विरूद्ध व वोइड है। इस प्रकार का कोई कानून नहीं है कि खातेदार की मृत्यु के बाद किसी दीगर व्यक्ति के नाम उसकी जमीन लगा दी जावे। दीवानी न्यायालय को भूमि की खातेदारी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (Rajasthan)

अधिकार तय करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। मुथरी की खातेदारी भूमि का बालसिंह के नाम इन्द्राज होना हस्तान्तरण की परिभाषा में आता है और बालसिंह ने मुथरी को कोई कन्सीडरेशन भी नहीं दिया है। इस प्रकार यह सही बिना बदल है। भूमि का इस प्रकार का हस्तान्तरण पंजीकृत दस्तावेज के द्वारा ही हो सकता है। यह राजीनामा भी पंजीकृत नहीं है। इस प्रकार राजीनामा वोइड होने के कारण एनफोर्सेवल नहीं है। इस कारण से ही न्यायालय अतिरिक्त जिला जजी गंगापुर सिटी ने राजीनामे के आधार पर बालसिंह का दावा डिक्री नहीं करके खारिज किया है। इसी कारण से प्रार्थी को कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं। किसी खातेदार व्यक्ति के इस प्रकार के राजीनामे से खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं किए जा सकते हैं और किसी अजनबी को खातेदारी अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं। राजीनामे में प्रार्थी ने स्वयं को कमोद का ही पुत्र माना है एवं हरीचरण को गुल्या का गोदपुत्र माना है। गुल्या के छोडे गए मकान, बाडा व नोहरे पर हरिचरण का ही अधिकार माना है। इस प्रकार प्रार्थी इस राजीनामे से पाबंद है तथा स्वयं को गोदपुत्र नहीं बताने के लिए एस्टोप्ड है। सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई जा सकती जिसके तहत वह अपनी सम्पत्ति को विक्रय नहीं कर सके और यदि इस प्रकार का कोई राजीनामा है या दस्तावेज है तो भी हस्तान्तरण के विरूद्ध लगाई गई शर्त वोइड है। मुथरी देवी को उक्त भूमि का उपयोग उपभोग करने का व विक्रय करने का पूर्ण अधिकार था और इन्हीं अधिकारों के तहत मुथरी देवी ने अपने 1/4 हिस्से की भूमि अप्रार्थी संख्या 6 लालहंस की पत्नि भगवंती को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय की है। अप्रार्थी सं0 1 का अप्रार्थी सं0 2, 3, 4 के सहयोग से अप्रार्थी सं0 6 ने कोई जबरन अपहरण नहीं किया न ही कोई अनुचित दबाब डाला बल्कि अप्रार्थी सं0 1 को रूपयों की लीगल नेसेसिटी थी और उसकी पूर्ति के लिए ही अप्रार्थी सं0 1 ने ख0नं0 132 रकबा 2.23 है0 ग्राम मोतीपुरा में से अपना हिस्सा 1.59 है0 जो सम्पूर्ण आराजियात का 1/4 हिस्सा होता है, भगवंती पत्नि लालहंस गुर्जर निवासी मोतीपुरा को बिल एवज 300000/–रू0 विक्रय कर दी और विक्रय राशि प्राप्त कर भूमि पर भगवंती का कब्जा करा दिया। तब से इस भूमि को भगवंती ही काश्त कर रही है। भूमि पर जब प्रार्थी का कब्जा ही नहीं है तो मुखालफाना कब्जा होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। प्रार्थी ने अपने दावे व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में स्वयं के कोई खातेदारी अधिकार नहीं बतलाए हैं केवल राजीनामे की शर्त संख्या 5 के आधार पर दावा किया

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

है और ऐसी किसी भी शर्त के आधार पर पुनः दावा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी ने विक्रय पत्र को निरस्त कराने के लिए यह दावा व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। विक्रय पत्र को निरस्त कराए और किसी भी प्रकार के कोई खातेदारी अधिकार प्रार्थी को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। विक्रय पत्र निरस्त करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है केवल सिविल न्यालय को है। इस कारण अदालत हाजा को यह दावा सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इस कारण दावा खारिज किए जाने योग्य है। प्रार्थी ने इन्हीं तथ्यों के आधार पर खातेदारी अधिकारों का एक दावा व टी0 आई0 प्रार्थना पत्र इसी न्यायालय में प्रस्तुत किया था और उस दावे में भी स्वयं का हक व अधिकार बताकर खातेदारी मांगी थी। न्यायालय में प्रार्थी का यह दावा व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पूर्ण सुनवाई के पश्चात् खारिज कर दिया और इस प्रकार प्रार्थी का अधिकार व कब्जे के बाबत् सारे प्रश्न राजस्व न्यायालय पूर्व के मुकदमे में तय कर चुका है और इस प्रकार जब एक ही प्रकार के अधिकारों पर पूर्व में न्यायालय का निर्णय हो चुका है तो यह मौजूदा दावा व टी0आई0 रेस्जूडीकेटा की तारीफ में आता है और धारा 11 जा0दी0 के तहत चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी ने पूर्व के दावे के तथ्यों को छिपाया है व क्लीन हैण्ड से अदालत में नहीं आया है। अप्रार्थी सं0 2, 4, 6 व भगवंती ने उक्त आराजियात का मौकेपर बाहमी तौर बंटवारा कर रखा है। अप्रार्थी संख्या 6 लालहंस व उसकी पत्नि भगवंती के हिस्से में 1/2 भूमि आती है और मौके पर ख0नं0 132 रकबा 2.23 है0 सम्पूर्ण तथा अन्य आराजी का 35 एयर रकबे पर अप्रार्थी सं0 6 व भगवंती का कब्जा है। प्रार्थी ने उक्त दावा व टी0आई0 प्रा0पत्र अप्रार्थी सं0 1 को हैरान व परेशान करने के लिए झूठे तथ्यों पर प्रस्तुत किया है तथा प्रार्थी का भूमि पर कोई कब्जा नहीं है, प्रार्थी भूमि का टीनेन्ट नहीं है, अप्रार्थी नं0 1 के परिवार का दत्तक पुत्र नहीं है इस कारण प्रार्थी का दावा व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र आधारहीन है व खारिज किए जाने योग्य है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 4 व 5 ने अपने जबाब में प्रार्थी के अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए अंकित किया है कि प्रार्थी मृतक गुल्या के कभी गोद नहीं गया एवं उसका गोद का दावा पूर्व में ही खारिज हो चुका है। मृतक गुल्या ने हिन्दू धर्म के रीति रिवाजों के अनुसार स्व0 हरिचरण को गोद लिया था । प्रार्थी का मृतक गुल्या की चल व अचल सम्पत्ति पर कभी कोई कब्जा नहींरहा । मृतक गुल्या की चल व अचल सम्पत्ति पर अप्रार्थी

उप जिला कलेक्टर

सं0 4, 5 अपने हिस्से अनुसार काबिज रहकर काश्त कर रहे हैं। अप्रार्थी सं0 1 के हिस्से की भूमि से भी प्रार्थी का कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रार्थी का कोई मुखालफाना कब्जा भी साबित नहीं है। प्रार्थी दावा व टी0आई0 की आड में भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहता है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी सं0 6 ने अपने जबाब में अंकित किया है कि अप्रार्थी संख्या 1 अपने हिस्से की भूमि अप्रार्थी सं0 6 लालहंस की पत्नि भगवंती को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय कर चुकी है, उसके नाम राजस्व अभिलेख में अंकन हो चुका है तथा भूमि पर भगवंती का ही कब्जा है। प्रार्थी धारासिंह कमोद का पुत्र है, मृतक गुल्या ने प्रार्थी को कभी गोद नहीं लिया। इस प्रकार प्रार्थी का विवादित भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है। गुल्या व कमोद सगे भाई थे। मृतक गुल्या के स्वयं का कोई पुत्र नहीं था इसलिए उसने अपनी मृत्यु से पूर्व सन् 1994 में हरिचरण को गोद लिया था। हरिचरण ही मृतक गुल्या की सेवा चाकरी करता था। विवादित आराजी को प्रार्थी ने कभी काश्त नहीं किया। न्यायालय अपर जिला जजी गंगापुर सिटी में हुए राजीनामे में यह लिखा गया था कि मुथरी देवी की मृत्यु के उपरांत मुथरी देवी के हिस्से की 1/4 भूमि की खातेदारी प्रार्थी धारासिंह पुत्र कमोद के नाम हो जावेगी। यह शर्त विधि विरूद्ध व वोइड है। इस प्रकार का कोई कानून नहीं है कि खातेदार की मृत्यु के बाद किसी दीगर व्यक्ति के नाम उसकी जमीन लगा दी जावे। दीवानी न्यायालय को भूमि की खातेदारी अधिकार तय करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। मुथरी की खातेदारी भूमि का धारासिंह के नाम इन्द्राज होना हस्तान्तरण की परिभाषा में आता है और धारासिंह ने मुथरी को कोई कन्सीडरेशन भी नहीं दिया है। इस प्रकार यह शर्त बिला बदल है। भूमि का इस प्रकार का हस्तान्तरण पंजीकृत दस्तावेज के द्वारा ही हो सकता है। यह राजीनामा भी पंजीकृत नहीं है। इस प्रकार राजीनामा वोइड होने के कारण एनफोर्सेवल नहीं है। इस कारण से ही न्यायालय अतिरिक्त जिला जजी गंगापुर सिटी ने राजीनामे के आधार पर धारासिंह का दावा डिक्री नहीं करके खारिज किया है। इसी कारण से प्रार्थी को कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं। किसी खातेदार व्यक्ति के इस प्रकार के राजीनामे से खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं किए जा सकते हैं और किसी अजनबी को खातेदारी अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं। राजीनामे में प्रार्थी ने स्वयं को कमोद का ही पुत्र माना है एवं हरीचरण को गुल्या का गोदपुत्र माना है। गुल्या के छोडे गए मकान, बाडा व नोहरे पर हरिचरण का

ही अधिकार माना है। इस प्रकार प्रार्थी इस राजीनामे से पाबंद है तथा स्वयं को गोदपुत्र नहीं बताने के लिए एस्टोप्ड है। सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई जा सकती जिसके तहत वह अपनी सम्पत्ति को विक्रय नहीं कर सके और यदि इस प्रकार का कोई राजीनामा है या दस्तावेज है तो भी हस्तान्तरण के विरूद्ध लगाई गई शर्त वोइड है। मुथरी देवी को उक्त भूमि का उपयोग उपभोग करने का व विक्रय करने का पूर्ण अधिकार था और इन्हीं अधिकारों के तहत मुथरी देवी ने अपने 1/4 हिस्से की भूमि अप्रार्थी संख्या 6 लालहंस की पत्नि भगवंती को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय की है। अप्रार्थी सं0 1 का अप्रार्थी सं0 2, 3, 4 के सहयोग से अप्रार्थी सं0 6 ने कोई जबरन अपहरण नहीं किया न ही कोई अनुचित दबाब डाला बल्कि अप्रार्थी सं0 1 को रूपयों की लीगल नेसेसिटी थी और उसकी पूर्ति के लिए ही अप्रार्थी सं0 1 ने खसरा नं0 132 रकबा 2.23 है0 ग्राम मोतीपुरा में से अपना हिस्सा 1.59 है0 जो सम्पूर्ण आराजियात का 1/4 हिस्सा होता है, भगवंती पत्नि लालहंस गुर्जर निवासी मोतीपुरा को बिल एवज 300000/–रू0 विक्रय कर दी और विक्रय राशि प्राप्त कर भूमि पर भगवंती का कब्जा करा दिया। तब से इस भूमि को भगवंती ही काश्त कर रही है। भूमि पर जब प्रार्थी का कब्जा ही नहीं है तो मुखालफाना कब्जा होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। प्रार्थी ने अपने दावे व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में स्वयं के कोई खातेदारी अधिकार नहीं बतलाए हैं केवल राजीनामे की शर्त संख्या 5 के आधार पर दावा किया है और ऐसी किसी भी शर्त के आधार पर पुनः दावा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी ने विक्रय पत्र को निरस्त कराने के लिए यह दावा व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। विक्रय पत्र को निरस्त कराए और किसी भी प्रकार के कोई खातेदारी अधिकार प्रार्थी को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। विक्रय पत्र निरस्त करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है केवल सिविल न्याालय को है। इस कारण अदालत हाजा को यह दावा सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इस कारण दावा खारिज किए जाने योग्य है। प्रार्थी ने इन्हीं तथ्यों के आधार पर खातेदारी अधिकारों का एक दावा व टी0 आई0 प्रार्थना पत्र इसी न्यायालय में प्रस्तुत किया था और उस दावे में भी स्वयं का हक व अधिकार बताकर खातेदारी मांगी थी। न्यायालय में प्रार्थी का यह दावा व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पूर्ण सुनवाई के पश्चात् खारिज कर दिया और इस प्रकार प्रार्थी का अधिकार व कब्जे के बाबत् सारे प्रश्न राजस्व न्यायालय पूर्व के मुकदमे में तय कर चुका है और इस प्रकार जब

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

एक ही प्रकार के अधिकारों पर पूर्व में न्यायालय का निर्णय हो चुका है तो यह मौजूदा दावा व टी0आई0 रेस्जूडीकेटा की तारीफ में आता है और धारा 11 सी0पी0सी0 के तहत चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी ने पूर्व के दावे के तथ्यों को छिपाया है व क्लीन हैण्ड से अदालत में नहीं आया है। अप्रार्थी सं0 2, 4, 6 व भगवती ने उक्त आराजियात का मौकेपर बाहमी तौर बंटवारा कर रखा है। अप्रार्थी संख्या 6 लालहंस व उसकी पत्नि भगवंती के हिस्से में 1/2 भूमि आती है और मौके पर ख0नं0 132 रकबा 2.23 है0 सम्पूर्ण तथा अन्य आराजी का कुछ एकड़ रकबे पर अप्रार्थी सं0 6 व भगवंती का कब्जा है। प्रार्थी ने उक्त दावा व टी0आई0 प्रा0पत्र अप्रार्थी सं0 1 को हैरान व परेशान करने के लिए झूठे तथ्यों पर प्रस्तुत किया है तथा प्रार्थी का भूमि पर कोई कब्जा नहीं है, प्रार्थी भूमि का टीनेन्ट नहीं है, अप्रार्थी नं0 1 के परिवार का दत्तक पुत्र नहीं है इस कारण प्रार्थी का दावा व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र आधारहीन है व खारिज किए जाने योग्य है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन में प्रार्थी ने फोटोकोपी नकल विक्रय पत्र दिनांक 16.11.2006, फोटोकोपी नकल राजीनामा दि0 22.9.2000, नकल आदेशिका दिनांक 22.9.2000 न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश गंगापुर सिटी, फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2062 से 2065 प्रस्तुत किए हैं।

जबाब के समर्थन में अप्रार्थीगण ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।

प्रस्तुत मामले में वादग्रस्त भूमि की तहसीलदार गंगापुर सिटी से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई । तहसीलदार गंगापुर सिटी की मौका रिपोर्ट दिनांक 18.1.07 पत्रावली में संलग्न है।

बहस विद्धान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थी के विद्धान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुरूप बहस करते हुए अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा चाही गई अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया है।

अप्रार्थी सं0 3, 6, 8 के विद्धान वकील ने अपने जबाब के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी सं0 2062 से 2065 के अनुसार वादग्रस्त भूमि में अप्रार्थी सं0 1 का 1/4 हिस्सा दर्ज है। फोटोकोपी नकल विक्रय पत्र दिनांक 16.11.2006 के

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

अनुसार अप्रार्थी सं0 1 मु0 मुथरी ने अपने 1/4 हिस्से को अप्रार्थी सं0 8 मु0 भगवन्ती को विक्रय कर दिया है। प्रार्थी अपना दावा व अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश यह न्यायालय अपर जिला जजी गंगापुर सिटी के मुकदमा धारासिंह बनाम गुल्या कौरा में पक्षकारों के मध्य दिनांक 22.9.2000 को हुए राजीनामे के आधार पर लेकर आया है। इस राजीनामे के मद नं0 5 में यह अंकित है कि मृतक गुल्या की भूमि जो हिस्सा 1/4 और बचती है और जिसका नामान्तरकरण पूर्व में ही मु0 मुथरी के नाम हो चुका है वह भूमि जब तक मु0 मुथरी जीवित रहेगी सही भूमि की मालिक काबिज स्वामी रहेगी तथा भूमि को काश्त करती रहेगी तथा मु0 मुथरी की मृत्यु के पश्चात् उक्त भूमि की खातेदारी वादी धारासिंह पुत्र कमोद गुर्जर के नाम हो जावेगी और भविष्य में धारासिंह ही उसके हिस्से की 1/4 भूमि का मालिक काबिज स्वामी खातेदार होगा। मुथरी की मृत्यु के बाद हरिचरण, दानकौर व मोटा का इस भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा। मुथरी द्वारा छोडे गए हिस्सा 1/4 की भूमि का वादी धारासिंह ही मालिक काबिज रहेगा। यह नामान्तरकरण भी राजीनामे अनुसार परिवर्तनीय होगा। प्रार्थी के विद्वान वकील का कथन है कि इस राजीनामे के अनुसार मु0 मुथरी के नाम दर्ज 1/4 हिस्से की भूमि प्रार्थी के नाम आनी चाहिए परन्तु अप्रार्थीगण ने साज कर इस भूमि का विक्रय पत्र मु0 मुथरी से मु0 भगवंती के नाम करवा दिया । इस प्रकार यह विक्रय पत्र न्यायालय में पक्षकारों के मध्य हुए राजीनामे का उल्लंघन है। राजीनामे में स्वयं मु0 मुथरी भी शामिल थी इसलिए वह भूमि को किसी भी प्रकार स्थानान्तरित नहीं करने के लिए बाध्य है। प्रार्थी इस भूमि पर अपना कब्जा काश्त होना बताता है परन्तु इसका कोई प्रलेखीय साक्ष्य प्रार्थी ने उपलब्ध नहीं कराया है। वहीं दूसरी ओर अप्राथी संख्या 8 के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.11.2006 है। इस प्रकार दोनों ही पक्ष वादग्रस्त भूमि पर अपना अपना कब्जा होने का दावा कर रहे हैं। वास्तव में वादग्रस्त भूमि किसके कब्जे में है, पक्षकारो के मध्य न्यायालय अपर जिला जजी गंगापुर सिटी मे हुए राजीनामे का इस वाद पर क्या प्रभाव है एवं अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 8 के पक्ष मे कराये गये विक्रय पत्र का कितना प्रभाव प्रार्थी के दावे पर होगा इसका निर्धारण मूल वाद में विस्तृत साक्ष्य, सबूतों के आधार होगा परन्तु प्रथम दृष्टया पक्षकारो के मध्य न्यायालय मे हुए राजीनामो एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में हमारी राय में न्यायहित में यह उचित है कि वादग्रस्त भूमि के मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त भूमि की मौका एवं अभिलेख की स्थिति यथावत

बनाए रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। इसी अनुसार अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम मोतीपुर तहसील गंगापुर सिटी में स्थित भूमि ख0नं0 132 रकबा 2.23 है0 मे से रकबा 1.36 है0 जो विक्रय पत्र दिनांक 16.11.06 से पूर्व अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की आराजी रही है, की मूल वाद के निर्णय होने तक मौका एवं स्टेटस की स्थिति यथावत बनाए रखने हेतु अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 8-3-2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(बाबूलाल जाट)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (राज.)